कांग्रेस के चिंतन शिविर का मतलब गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर ही खत्म : डॉ. पूनिया

‘सोनिया गांधी को गहलोत सरकार के कुशासन की हकीकत राजस्थान के लोगों से जाननी चाहिये’

जयपुर। कांग्रेस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिये बयानों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में वही रटी-रटाई बातें जिनसे गांधी परिवार खुश होता है, और परिवारवाद इस कदर हावी है कि पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है, इससे आगे कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, ना कोई विजन है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति के इर्द-गिर्द ही कांग्रेस सिमट गई है।

परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण ही कांग्रेस पूरे देश से सिमट चुकी है, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है, इन दो राज्यों से भी आने वाले चुनावों में कांग्रेस मुक्त हो जायेगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी कह रही है कि

- **‘शिविर में सोनिया गांधी राजस्थान के किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा करने का अशोक गहलोत से ऐलान करवाएं’**

अल्पसंख्यकों तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, क्या सोनिया गांधी को यह पता नहीं है कि कांग्रेस सरकार के शासन में करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और नोहर में हिंसा भड़की, कोटा में पीएफआई की रैली को इजाजत किसने दी, क्या सोनिया गांधी को प्रदेश में बहुसंख्यकों पर अत्याचार नहीं दिखते?

इन क्षेत्रों में हिंसा पीड़ितों से मिलने आज तक अशोक गहलोत नहीं गये, हिंसा करने वाले लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है, एक पक्ष के दोष को छुपाने के लिये दूसरे पक्ष के लोगों को फंसाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस तुष्टिकरण कर वोट बैंक के लिये कर रही है। आजादी से लेकर 50-55 वर्षों तक अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा, इनके विकास व संबल के लिये अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार में कार्य हो रहे हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस के चिंतन शिविर से कोई संदेश देना है तो अशोक गहलोत को कहें कि किसान कर्जमाफी का वादा पूरा करें।

अशोक गहलोत को याद रखना चाहिये कि योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिये केन्द्र की मोदी सरकार जमीन पर कार्य कर रही है, वहीं आपने तो किसानों व युवाओं से वादाखिलाफी की है, तो आपके पास जनता को बताने के लिये कुछ है ही नहीं, और जनता 2023 में प्रदेश से कांग्रेस को हमेशा के लिये विदा करने को अभी से तैयार बैठी है।

गांधी परिवार के खत्म होते अस्तित्व की चिंता तक सीमित रहा : चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के आयोजित चिंतन शिविर के बारे में कहा कि देश के महत्वपूर्ण विषयों के चिंतन की बजाय गांधी परिवार की चिंता प्रमुखता से शिविर में हावी रही। शिविर जिन अपेक्षाओं को लेकर शुरू किया गया जिसमे देश व प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी, अपेक्षाओं के उलट शिविर में राजस्थान में जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों पर हिंसा और करौली, जोधपुर, छाबड़ा व भीलवाड़ा जैसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री का स्वयं आगे आकर यह बयान देना कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के युवा, महिला, किसान, बेरोजगार की अपेक्षा पर कुठाराघात हुआ साथ ही प्रदेश की बहन-बेटियों से दुष्कर्म पर कांग्रेस के आला नेताओं के द्वारा जिक्र नही करना कांग्रेस की जनता के प्रति चिंता दर्शाता है। चतुर्वेदी ने बताया कि एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं में गांधी व नोन गांधी का भेद स्पष्ट नजर आया।

बिना लाइसेंस कैसे चल रहे हैं डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य के प्रमुख पशुपालन सचिव, डीएलबी, नगर निगम, औषधि नियंत्रक और विधि आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रदेश में बिना लाइसेंस डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स कैसे चल रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि कुत्तों की दो नस्ल के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर नई नस्ल तैयार करने को रोका क्यों नहीं जा रहा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ह्यूमन सेटलमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता नीरजा खन्ना ने अदालत को बताया कि शहर में करीब अस्सी हजार आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कुत्ते के काटने की आठ हजार से अधिक घटनाएं हुई हैं। यानी रोजना करीब बीस लोगों को कुत्तों ने काटा था। जबकि दूसरी ओर नगर निगम में सिर्फ 518 कुत्तों का की पंजीकरण है। हाल ही में एक बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

याचिका में कहा कि देश में दस तरह की नस्ल के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगी हुई है। इस नस्ल के कुत्ते बेहद खूंखार माने जाते हैं। इसके अलावा कई ब्रीडिंग सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और यहां खतरनाक कुत्तों की अलग-अलग नस्ल को आपस में क्रॉस ब्रिडिंग करवाकर नई नस्ल पैदा की जा रही है। यह नस्ल इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स, 2017 के तहत ब्रिडर्स के पास उसका लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं आयात नीति, 2016 के तहत व्यावसायिक ब्रिडिंग के लिए कुत्तों के आयात करने पर भी रोक है।

प्रो. नीलिमा सिंह को आरटीयू कुलपति का अतिरिक्त प्रभार

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (आरटीयू) के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक कोटा विश्वविद्यलालय, कोटा की कुलपति प्रो. नीलिमा सिंह को प्रदान किया है।

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ/एम.बी./22-23/294 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 9.5.22

श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री दीनदयाल खण्डेलवाल निवासी बी-4 ओंकार नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति भूखण्ड /सम्पति जिसका ए.एम.सी. नम्बर 427ए/11 पुराना व 483/10 नया का भाग है जो वाके प्रेम भवन कचहरी रोड, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 119.99 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व :-आम रास्ता 20फुट चौडा — पश्चिम : ए.एम.सी. नं. 427ए/11 का शेष भाग

उत्तर :-ए.एम.सी. नं 427/1 का शेष भाग — दक्षिण :- ए.एम.सी. नं. 427ए/11 को शेष भाग

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो.. इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा भूखंड संख्या जी-942 गणेश गुवाडी योजना की फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया है। मूल आवंटी श्री अशोक कुमार ऐरन पुत्र श्री भंवरलाल ऐरन ने उक्त भूखंड को जरिए अंजीकृत इकरारनामा दिनांक 28.6.2016 से श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा के नाम विक्रय कर दिया, अत: क्रेता ने उक्त भूखंड को खरीदशुदा एवं वर्तमान में स्वयं को उक्त भूखंड का अंतिम क्रेता बताया है, अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तांतरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.2.2021 के क्रम में एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.3.2021 की अनुपालन में उक्त भूखंड संख्या जी-942 गणेश गुवाडी योजना श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा के नाम फ्री होल्ड पट्टा जारी किए जाने से किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेज के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं उक्त भूखंड संख्या जी-942 गणेश गुवाडी योजना की श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा के नाम परिवर्तन कर फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

इस आम सुचना के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला शरीफन जोजे शब्बीर अली उर्फ बाबू खां जी तेली निवासी रूपनगढ़ हाल निवासी देशवाली ढाणी मकराना के खसरा नंबर 622 में खरीदसुदा दो जमीन बनाप 50 गुणा 60 व 52/2 गुणा 40 फुट व् उसमे बने मकान स्थित है । मेरी मुवक्किला के चार पुत्र निजामुद्दीन, इस्लामुद्दीन, फयाज अहमद, अब्दुल रज्जाक जिनमें से अब्दुल रज्जाक मेरे मुवक्किला व मेरे मुवक्किला के पति शब्बीर अली के कहने में नहीं है तथा आये दिन मेरी मुवक्किला से अब्दुल रज्जाक व इसकी आल ओलाद झगडा फसाद करते रहते है । ये दोनों मेरी मुवक्किला का न तो भरण पोषण करते है न ही देखभाल करते है और न इनको मेरी मुवक्किला से लगाव है इसलिए मेरी मुवक्किला का पुत्र अब्दुल रज्जाक और इसकी आल ओलाद उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 622 में स्थित दोनों जमीन व उसमे बने मकानात की सम्पति में हिस्सा पाने के हक़दार नहीं है मेरी मुवक्किला अपने पुत्र अब्दुल रज्जाक व इनकी आल ओलाद को उपरोक्त वर्णित सम्पति से इस कानूनी आम सुचना के जरिये संपत्ति से बेदखल करती है पूर्व में भी मेरी मुव्किला ने अपने दो पुत्र इस्लामुद्दीन व फयाज़ अहमद को दिनाक 29-082020 को उपरोक्त सम्पति से बेदखल कर दिया था । सो सूचित रहे।

दिनांक :- 29/3/2012 — जावेद हुसैन

एडवोकेट न्यायालय परिसर, मकराना , मो. नं-8386838585

पहले दिन 65 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

निर्धारित साढ़े पांच लाख में से साढ़े तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी

जयपुर,(कासं)। प्रदेश में 4588 पदों के लिए 470 परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार से शुरू हुए कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन 65 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस बीच नकल रोकने के लिए सेंटर पर जैमर लगाए।

एडीजी विनीता ठाकुर ने बताया कि पहले दिन निर्धारित साढ़े पांच लाख में

- **परीक्षा सेंटर पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए**

से साढ़े तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के कारण आज बसों में सफर करने वाले आम आदमी को परेशानी हुई। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज बसों को निःशुल्क किया गया है। लाखों अभ्यर्थियों के होने के कारण बस स्टेण्डों पर इनकी भीड़ ज्यादा हो रही है। इसके चलते आम यात्रियों को चार दिन थोड़ी परेशानी का सामना करना होगा।

नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस के साथ एसओजी और एटीएस की टीमे भी निगरानी रख रही है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिये रोडवेज में निःशुल्क आवागमन के कारण बसें ऊपर तक भरी हुई चलीं। इस कारण आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

उधर परीक्षा की पहली पारी सुबह नौ बजे शुरू हुई और दूसरी पारी अपराह्न तीन बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से तीस मिनट पहले तक केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि इस बीच परीक्षा में नकल रोकने के लिए युवतियों की ज्वैलरी उतरवाने के साथ पूरी आस्तीन के कपड़ों कैंची से काटकर आधी बाजू का किया गया। कई सेंटरों पर अभ्यर्थियों को चप्पल तक पहन कर नहीं घुसने दिया। ऐसे में तपती सड़क पर नंगे पैर अभ्यर्थी दौड़ते नजर आए।

‘हर्षोल्लास से मनाएं बुद्ध जयंती’

जयपुर, (का.सं.)। भगवान बुद्ध शिक्षा एवं समाज उन्नतीय संस्था की ओर से इस बार 16 मई को वैशाखी पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती नये भवन के बजाय मालवीय नगर पर परम्परागत स्थल पर ही मनाई जायेगी। संस्था प्रधान राधेश्याम कोली ने बताया कि इसके बाद विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जायगा। इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएं, तथागत बुद्ध विचारों को अंगीकार कर परिवार को उन्नत, प्रगतिशील, संस्कारित, विज्ञानी बनाकर सुखहाल बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विश्व आराध्य बुद्ध के दर्शन एवं उपदेशों से नेक कार्य और उपाय प्रभावी होने से सबका मंगल समाहित है। यू.एन.ओ. सहित कई राष्ट्र एवं देश बुद्ध के विचार से मानवीयता, संस्कार एवं आदर्श स्थापित किये हुए हैं। मानव को जीवन के कार्यो में बेमानी नहीं अपितु सकारात्मक एवं रचनात्मक परिणाम चाहिए। मुख्यमंत्री से अपील है कि चिन्तन शिविर के समापन से पूर्व ‘बुद्ध जयन्ति’ का राजकीय अवकाश घोषित करना ही एक विकल्प है। इससे आमजन में भारी उत्साहवर्धन होगा। वे नयेजोश, उमंग से भर जायेंगे, संवेधानिता समाप्त होगी तो निश्चय ही लोग अपने परिवार एवं समाज के साथ सरकारी सेवाओं में भी नवाचार, सृजन, उन्नत एवं प्रगतिशील होंगे।

आम सूचना

मेरी मां हिरी पत्नी हमीरा जाती रावत निवासी गांव रघुनाथपुरा पोस्ट टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 17 नवम्बर 1991 को निवास स्थान पर हो गई। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसील कार्यालय किशनगढ में आवेदन किया है, इस सम्बंध में किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी आपत्ति तहसीलदार किशनगढ के समक्ष दर्ज करावे, बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी- छितर पुत्र हमीरा रावत निवासी गांव रघुनाथपुरा

आम सूचना

मेरे पिता नाथूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोली की मृत्यु दिनांक 10.3.1997 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम गोली में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत सिरोंज में नहीं करवाया था, अब मैं मेरे पिता जी नाथूसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी- बजरंगसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह राजपूत उम्र 65 साल निवासी ग्राम गोली तहसील अरांई (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढसूक, पंचायत समिति अरांई अजमेर

क्रमांक : पसढ/निर्माण/2022-23/53 दिनांक : 13.5.2022

सीमित निविदा सूचना

पंचायत समिति अरांई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत ढसूक में कार्य ब्राह्मणों के खेत के पास बालापुरा से मुण्डोती रास्ते पर पुलिया निर्माण बालापुरा सिमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।
NIB NO. ZAJ2223A0193, ZAJ2223WSLB00200

सरपंच, ग्राम पंचायत ढसूक, पं.स. अरांई (अरांई) — हरिकेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी, पं.स. अरांई (अरांई)

कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेडा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण अजमेर

क्रमांक : ग्रा.प.ग./2022-23/निविदा/एसपी.1 दिनांक : 12.5.2022

सीमित निविदा सूचना

निम्नांकित संक्रम के सम्पादन हेतु पंचायत समिति में रा.उ.मा.वि. गनाहेडा के खेल मैदान में ओपन एयर जिम उपकरण ग्राम पंचायत गनाहेडा के लिए सिमित निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।
NIB NO. ZAJ2223A0197, ZAJ2223GSOB00204

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गनाहेडा, पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर) — सरपंच, ग्राम पंचायत गनाहेडा, पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई

राज्य में शुक्रवार को 70 नए संक्रमित मिले, इससे पहले 80 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आई है। इसके चलते राज्य में 70 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 92 मरीजों के ठीक होने के साथ एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 12 जिलों में 70 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 80 रोगी पाए गए थे। इधर आज राजधानी जयपुर में थोड़ी वृद्धि के बाद 49 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10, धौलपुर में 6, जोधपुर और चूरू में 3-3, अजमेर और उदयपुर में 2-2 तथा बीकानेर, दौसा, गंगानगर, झालावाड़ और कोटा में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 21 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

- **राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 49 नए मरीज पाए गए हैं।**
- **प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 92 संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं।**

प्रदेश में शुक्रवार को रिकवरी में सुधार हुआ है। इस दौरान 92 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं। हालांकि अभी सर्वाधिक 390 मामले राजधानी जयपुर में है। इसके अलावा धौलपुर में 100 मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर प्रदेश में शुक्रवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से राज्य में 9554 लोगों मृत्यु हो चुकी है।

जगतपुरा में 5 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 24 स्थानों पर नए करोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 नए मरीज जगतपुरा में पाए गए हैं। इसके अलावा जवाहर नगर में 4, गोपालपुरा, मानसरोवर, सोडाला और वैशाली नगर में 3-3 तथा बापू नगर, बरकत नगर, जौहरी बाजार, झोटवाड़ा, खातीपुरा, मालवीय नगर, मुरलीपुरा, पुरानी बस्ती, सांगानेर व शास्त्री नगर में 2-2 और अजमेर रोड, बगरू, सी-स्कीम, दुर्गापुरा, घाटगेट, एमडी रोड, टोंक रोड और विराट नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जयपुर में 74 मरीज ठीक हुए हैं।

LSG Beawer/mut/2022-23/28589 Date 19.4.2022

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

सजरा प्रमाण पत्र

क्रमांक /नगरीय विकास कर/2022-23/1503

दिनांक : 12.5.22

सार्वजनिक सूचना

श्री अनिल कुमार लोढा पुत्र श्री तेजराज जी लोढा, श्री सुनिल लोढा पुत्र श्री तेजराज श्री पंकज पुत्र श्री तेजराज निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 7 श्रद्धानन्द बाजार नं. 4 म्यू.नं. 42 क्षेत्रफल 40.00 व.ग. जो कि नगर परिषद ब्यावर व क्रय विकास कर रिकॉर्ड में उक्त सम्पत्ति श्री जुगराज पुत्र श्री पूनमचन्द जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात सजरा प्रमाण पत्र श्री जुगराज जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.10.1965 श्री तेजराज जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.8.2020 स्वयं घोषणा पत्र क्रमांक बीए 482343 का प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजीका में नाम अन्तरण के लिए प्रदान किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी

आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति सरवाड

क्रमांक : ग्रा.प./हिंगोनिया/निविदा/2022-23/18

दिनांक : 13.5.2022

ई -निविदा सूचना

ग्राम पंचायत हिंगोनिया के वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं (मनरेगा के अतिरिक्त) निर्माण कार्यों की सामग्री क्रय किए जाने हेतु दिनांक 23.5.2022 को सायं 6.00 बजे तक ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है।

सरपंच, ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पं.स. सरवाड

2008 में हुए जयपुर बम ब्लास्ट में मरे लोगों के लिये लोगों ने चांदपोल हनुमान मंदिर में 1100 दीपकों से आरती उतारी।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज

जयपुर, (का.सं.)। इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर में न्यायाधिपति एम.एम. श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, (मुख्य संरक्षक) एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया जावेगा। लोक अदालत में करीब 7.45 लाख मामलों में समझाइश होगी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर उप सचिव-प्रथम ने बताया की राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, में न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में पदासीन न्यायाधिपति एवं सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, राजकीय महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रालसा के पदाधिकारी, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण की मौजूदगी में 14 मई को प्रातः 10 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यू बिल्डिंग) के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।

इस बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोंक जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के परिसर में बीमा कम्पनी के स्थानीय स्तर के अधिकारियों को बुलाकर प्री-काउंसलिंग सेशन करवाए गए।

आदर्श आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश जारी

जयपुर, (का.सं.)। राज्य में आगामी नगरीय निकायों के उप चुनाव के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के 29 मई को होने वाले उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश जारी किये है।

आयोग की विशिष्ठ शासन सचिव शैली किशनानी ने इस संबंध में जारी आदेश में बताया कि उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव समाप्ति तक मंत्रीगण राजकीय दौरे पर नहीं जाएंगे। केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण जहां संबंधित विभाग के मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाया जाएगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	22866193	सम्पत्ति पर ऋण	1. रामेश्वर जयराम गुर्जर 2. कली रामेश्वर 3. दयाली गुर्जर 4. विनोद कुमार गुर्जर	09.05.2022	4,63,863.20/-	मकान पट्टा नं. 46, क्षेत्रफल 1541 वर्गफिट, देवनारायण मंदिर के पास, ग्राम पंचायत-दन्थल, पंचायत समिति-सुवाना, ग्राम पटनिया, तहसील व जिला-भीलवाडा, राजस्थान-31101 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-रास्ता, पश्चिम-लादू गूजर, उत्तर-लाला गुजर, दक्षिण-विनोद गूजर

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 14.05.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान- भीलवाडा — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)